सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन तथा लाभ में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विविधीकरण तथा उत्पाद-मिश्र, कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण, तथा संयंत्र-मशीनरी का आधुनिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

औद्योगिकरण का विरोध

658. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः**
श्री राज मोहिन्दर सिंहः

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1999 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "मेनका अपोज्ड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश का औद्योगिकीकरण करने के स्थान पर पारंपरिक संस्कृति व उद्योगों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से देश का विकास करने की योजना को प्राथमिकता देनी चाहिये; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त करने और एक आधुनिक एंव दूरदर्शी भारत का निर्माण करने के लिए लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसे समाज का निर्माण तब ही किया जा सकता है जब यदि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के अंग के रूप में विकास करे, न कि अलग रहकर। अतः सरकार आधुनिक तथा परंपरागत उद्योगों के विकास की नीति इस प्रकार अपना रही है, जो कि देश से समग्र हित में होगी।

Industrial growth Centres in U.P.

659. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of industrial growth centres functioning in Uttar Pradesh;

(b) the details of the funds provided to these growth centres during each of the last three years;

(c) whether any study has been made of the impact of these growth centres in terms of generating employment opportunities in U.P. in general and its backward areas in particular; and

(d) if so, th details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) Under the Growth Centre Scheme seven growth centres have been approved by the Central Government for execution in Uttar Pradesh by the State Government of U.P. None of the growth centres has become fully functional yet. The details of release of funds to these centres are given in the attached statement. (*See* below)

(c) and (d) No study has been made by the Central Government of the impact of these growth centres in terms of generating employment opportunities.

Statement

Total release of Central assistance towards the seven approved growth centres at Bachauli Buzurg, Banthara, Chaudharpur, Dibiapur, Khurja, Mungra-Satharia and Sahajanwa is Rs. 2080 lakh.

During the last three years, funds have been released to the following to the extent shown against each:

Name of the growth centre	Amount released (Rs. in Lakh)		
	1995-96	1996-97	1997-98
Khurja (Bulandshahr	200	—	170

Name of the growth centre	Amount released (Rs. in Lakh)		
	1995-96	1996-97	1997-98
Mungra Satharia (Jaunpur)	400	—	—
Dibiapur (Auraiya)	—	—	50
TOTAL	600	—	220

औद्योगिक निवेश

660. **श्री गोविन्दराम गिरि:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के अंत तक देश में औद्योगिक निवेश का राज्यवार प्रतिशत कितना-कितना रहा है;

(ख) किन-किन उद्योगों में निवेश सर्वाधिक और किन-किन उद्योगों में कम रहा है;

(ग) क्या औद्योगिक निवेश में अत्यधिक असमानता पाई गई है;

(घ) अपने-अपने राज्यों में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार ने क्या-क्या सकारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् मार्च, 1997 तक की अवधि में राज्यवार औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों तथा उद्योगवार औद्योगिक निवेश के आशयों के ब्यौरे विवरण I व II में दिये गये हैं। (नीचे देखिए)

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार देश की व्यापक औद्योगिक नीति निर्धारित करती है और उसके बाद राज्य सरकारें राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की व्यापक मानदंडों के भीतर अपनी औद्योगिक नीतियां निर्धारित करती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 1998-99 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं:—

*कोयला तथा लिग्नाइट, पैट्रोलियम तथा इसके डिस्टिलेशन उत्पाद और चीनी को लाइसेंस मुक्त करना।

*अनिवासी भारतीयों द्वारा समग्र इक्विटी निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% करना।

*विद्युत प्रशुल्कों को युक्तियुक्त बनाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग स्थापित किये गये हैं।

*शहरी भूमि सीमा तथा विनियमन अधिनियम को एक अध्यादेश जारी करके रद्द कर दिया गया है। इससे भूमि की आपूर्ति बढ़ने और निर्माण गतिविधियों में तेजी होने की आशा है।

*सरकार ने शेयरों की पुनः खरीद तथा अंतःनिगम ऋणों की अनुमति दे दी है ताकि निवेश में वृद्धि और पूंजी बाजार पुनरूज्जीवित हो सके।

*सरकार ने तीन बड़ी फास्ट ट्रैक पावर परियोजनाओं को मास्टर गारंटी दी है जिससे वित्त समापन की आशा है और इस प्रकार मौलिक तथा अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

*6 लेन वाली 7000 कि० मी०, के राजमार्ग को बनाया जाएगा।

*विद्युत जनित्रण, ट्रांसमिशन तथा वितरण के लिए तथा सड़कों, राजमार्गों, वाहन पुलों, चौड़ी सड़कों, वाहन सुरंगों, पत्तनों तथा बंदरगाहों का निर्माण व रख-रखाव के लिए 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गई है जिसकी अधिकतम सीमा 1500 करोड़ रुपया है।

*विभाग के भीतर ही एक परियोजना मानीटरिंग एकक की संस्थापना की गई है ताकि 100 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक की विदेशी इक्विटी धारित करने वाली बड़ी एफ०डी०आई० परियोजनाओं की तेजी से क्रियान्वयन व मानीटरी की जा सके।